न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)

(पीठासीन अधिकारीः श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर0ए0एस0)

प्रकरण सख्याः–43/2021 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांकः– 31/03/2021
निर्णय दिनांकः– 04/11/2025

अनवान

1. त्रिलोक पिता गोकल जाति कुम्हार निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

–––प्रार्थी

बनाम

1. लक्ष्मीलाल पिता धीरपलाल जाति सेवक निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थी की आप न्यायालय के उपखण्ड में विद्यमान ग्राम लसानी, पटवार मण्डल लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद में प्रार्थी की आराजी सं. 2415, 2419 कुल किता 2 कुल क्षेत्रफल 1.7300 हैक्टेयर स्थित हैं। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे की हैं इस भूमि से आगे विपक्षी सं. 1 की भूमि आराजी सं. 2418 क्षेत्रफल 0.3300 हैक्टेयर स्थित हैं जिससे होकर प्रार्थी अपनी कृषि आराजीयात में प्रवेश कर सकते हैं व पगडण्डी रूपी रास्ता जो वर्षों पुराना बना हुआ हैं से प्रार्थी व उसके परिवारजन आवागमन कर रहे हैं तथा इसी आराजी से प्रार्थी कृषि उपकरण, हल, बैलगाडी, ट्रेक्टर ईत्यादि का आवागमन विपक्षी की भूमि में होकर किया जा सकता है। विपक्षी सं. 1 की भूमि के अलावा प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं हैं लेकिन विपक्षी रास्ता देने को तैयार नहीं है। प्रार्थी एंव विपक्षी अपने बाप दादाओ के जमाने से इसी रास्ते से आवागमन कर रहे हैं तथा लम्बे समय से खुले तौर पर निरन्तर निर्विघ्न विपक्षी की जानकारी में प्रार्थी एंव उनके पूर्वाधिकारियों का इसी रास्ते से आवागमन रहा हैं। विपक्षी की उक्त वर्णित भूमि में

उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जि. राजसमन्द (राज.)

से 10 फीट चौडा एंव 350 फीट लम्बा रास्ता चाहा गया हैं जिससे प्रार्थी एंव विपक्षी सं. 1 अपने बैल, हल, बैलगाडी, ट्रेक्टर, कृषि उपकरण एंव मवैशी ईत्यादि लाते ले जा सकेगें। लेकिन अब हाल ही विपक्षी ने उसकी भूमि आराजी नम्बर 2418 में जो वर्षों पुराना रास्ता बना हुआ हैं को ईट पत्थर सीमेन्ट की पक्की दिवार लगाकर बन्द कर दिया हैं जिससे प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन के अधिकार बाधित होकर प्रार्थी अपनी भूमि आराजी नम्बर 2415,2419 में जाने आने से व गाड़ी, टेक्टर आदि ले जाने से वंचित हो जायेगा। इस आराजी नम्बर 2418 के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की भूमि में जाने का नहीं है। विपक्षीगण की आराजी सं. 2418 में से प्रार्थी की आराजी नम्बर 2415. 2419 मे आवागमन (रास्ता) 10 फीट चौड़ा व 350 फीट लम्बा को धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रास्ते के रूप में कायम किया जाना आवश्यक हैं जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। इस रास्ते को राजस्व रिकार्ड में कायम करने के लिये जो भी मुआवजा राशि न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाती हैं प्रार्थी अदा करने के लिये तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विपक्षी की आराजी सं. 2418 भूमि में से आवागमन के रास्ता जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की कलम सं. 02 में दिया गया हैं उस 10 फीट चौडे व 350 फीट लम्बे रास्ते को राजस्व रिकार्ड में कायम किया जावें एंव रास्ते की भूमि को बिलानाम दर्ज की जाकर प्रार्थी का आवागमन सुनिश्चित किया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई अप्रार्थी को जरिये समन्न तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

प्रकरण में तहसीलदार, देवगढ़ से मौका रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार प्रार्थी को राजस्व ग्राम लसानी में स्थित अपनी खातेदारी आराजी संख्या 2415, 2419 में आवागमन हेतु रास्ते की परम आवश्यकता है। आवेदित रास्ता मात्र सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं है। प्रार्थी को खेतों में जाने हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता खातेदारी में जाने हेतु लघुतम व निकटतम है। प्रार्थी को ग्राम लसानी खसरा संख्या 2418 में से रकबा 0.0706 हैक्टेयर लम्बाई क्रमशः 380 फीट व चौड़ाई 20 फीट रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रास्ते में कोई निर्माण व पेड़ आदि नहीं है। प्रस्तावित रास्ता वर्जित भूमि की श्रेणी में नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डीएलसी की दर से राशि 196908 / – रूपये है।

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जि. राजसमन्द (राज.)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए में प्रतिपादित है किः– [251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. - (1) Where - (a)a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or (b)a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the SubDivisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that (i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and (ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted. (2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records. (3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.]

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जि. राजसमन्द (राज.)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए की उपधारा (1) के प्रावधानों को कियान्विति के लिए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 में संशोधन अधिसूचना दिनांक 02.03.2012 से अध्याय 12 जोड़कर नियम 68–70 के प्रावधान उपबन्धित किये गये है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 68में खातेदारी भूमि मे से होकर नवीन रास्ते विद्यमान रास्ते को चौड़ा करने एवं सिचाई हेतु पाइप लाईन के लिए नियम 68 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है एवं नियम 68 के प्रावधान अन्तर्गत पस्तुत आवेदन पत्र को उपखण्ड अधिकारी द्वारा जॉच कर उसे आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से 90 दिन में निस्तारण करने का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त प्रावधानों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि धारा 251–ए के अन्तर्गत खातेदारो को अन्य खातेदारों की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन के माध्यम से जल लेने या अन्य खातेदारों की जोत में से होकर नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने के लिए उपबन्धित किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में आराजी संख्या 2418 रकबा 0.8600 हैक्टेयर में से 10 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी द्वारा चाहा गया है जो जमाबन्दी संवत् 2076 के अनुसार अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है।

अतः तहसीलदार, देवगढ़ की रिपोर्ट अनुसार अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुये आराजी खसरा नम्बर 2418 रकबा 0.8600 हैक्टेयर वाके ग्राम लसानी में से 380 फिट लम्बा एवं 20 फिट चौड़ा रास्ता प्रार्थी की आराजी संख्या 2415, 2419 सहखातेदारी के रूप में दर्ज है जिसमें आने–जाने के लिए दिया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(43) में अभिधारी को परिभाषित किया गया है। उक्त परिभाषा में एक सह अभिधारी (सहखातेदार) भी अभिधारी के रूप में अभिव्यक्त है। अतः आराजी संख्या 2415, 2419 में आने जाने के लिए (समस्त अभिधारी / सहखातेदार) के लिए दिया जाना उचित है।

–::आदेश::–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा आराजी खसरा नम्बर 2418 रकबा 0.8600 हैक्टेयर वाके ग्राम लसानी में से 380 फिट लम्बा एवं 20 फिट चौड़ा रास्ता प्रार्थी की आराजी संख्या 2415, 2419 वाके ग्राम लसानी में आने–जाने के लिए राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप–नियम (1)के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की गई कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकर

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जि. राजसमन्द (राज.)

तिलोक बनाम लक्ष्मीलाल
प्रकरण संख्याः— 43 / 2021(प्रा0पत्र)
निर्णय दिनांकः—04 / 11 / 2025

196908 / — रूपये लिया जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जाता है। यह रास्ता सार्वजनिक रहेगा। तहसीलदार देवगढ़ उपरोक्त आराजी में रास्ते की भूमि उपरोक्तानुसार प्रतिकर राशि प्रार्थी से अप्रार्थी को दिलवाई जाकर रास्ते की भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। प्रस्तावित नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग (जुज) रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार देवगढ़ को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 04 / 11 / 2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला राजसमन्द